श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

(आईएसओ 22000–2018 एण्ड एचएसीसीपी प्रमाणित संस्थान)

ई–निविदा सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ जं0 द्वारा **सिटी भादरा पथ पर प्रति किलोमीटर की दर से** सरस दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण कर खाली क्रेट संघ में जमा करवाने तथा प्राप्त उत्पाद राशि स्वयं के बैंक खाता में जमा करवा संघ को अग्रिम उत्पाद राशि के भुगतान करने के लिए **1 वर्ष हेतु इन्सूलेटिड वाहन** लगाये जाने के लिए ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक परिवहनकर्ता व्यक्ति/फर्म निविदा प्रपत्र वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in से दिये गये निर्देशानुसार अपलोड कर सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु www.sriganganagarmilkunion.com पर विजिट अथवा 083878–70308 व 077260–07333 पर सम्पर्क करें एवं **पूरा निविदा फार्म अवश्य पढें।**

(उग्रसेन सहारण)
प्रबन्ध संचालक

क्रमांक/गंगमूल/विपणन/2025/1502-06 दिनांक:– 15.05.2025

प्रतिलिपि:–

1. प्रबन्धक प्रणाली, आरसीडीएफ0 लि0, जयपुर।,
2. प्रभारी लेखा/अतिरिक्त निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक/नोटिस बोर्ड।
3. प्रभारी एमआईएस– संघ की वेबसाइट/पोर्टल व http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
4. .... दुग्ध संघ– निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना अपने संघ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
5. सम्पादक ....– उक्त सूचना .... स्थान में एक बार संघ के लोगो सहित प्रकाशित करें।

प्रबंध संचालक

औद्योगिक क्षेत्र, हनुमानगढ़ जं0–335512 (राज0), दूरभाष–01552–260588, 244288, E-mail:- mktgangmul@gmail.com

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512

Tel No. 01552-260588, 260522, Fax-262847, E-mail: rcdfgng_jp1@bsnl.in

ई–निविदा–सूचना का विवरण

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ जं0 द्वारा पथ में अधिकृत विक्रय केन्द्रों पर **प्रति किलोमीटर की दर से** उत्पाद वितरण कर खाली क्रेट संघ में जमा करवाने तथा प्राप्त उत्पाद राशि स्वयं के बैंक खाता में जमा करवा संघ को अग्रिम चैक से उत्पाद राशि के भुगतान करने हेतु **1 वर्ष हेतु इन्सूलेटिड वाहन** लगाये जाने के लिए ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:–

पथ का नाम	वाहन की		मॉडल	अनुमानित दूरी किमी0 / दिन	अमानत राशि (₹)	धरोहर राशि (₹) (बैंक गारंटी / एफडीआर)
	न्यूनतम क्रेट क्षमता	संख्या				
सिटी भादरा	300	1	2015 or Later	320	50,000	4 Lakh

निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से दिये गये निर्देशानुसार **दिनांक 15.05.2025, सांय 6 बजे से डाउनलोड कर दिनांक 27.05.2025 सांय 6 बजे तक अपलोड** किए जा सकते हैं।

निविदा खुलने की दिनांक 28.05.2025 को डीडी के रूप में 590 रूपए निविदा शुल्क श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ एवं 500 रूपए निविदा प्रोसेसिंग शुल्क MD, RISL, Jaipur के नाम सहित पथ हेतु निर्धारित अमानत राशि का डीडी (कुल 3 डीडी) सहित परिशिष्ट एवं आयकर रिर्टन संघ विपणन कार्यालय, हनुमानगढ़ में **दोपहर 12.30 बजे तक** आवश्यक रूप से जमा करवाने होंगे। इसी दिन **दोपहर 2.30 बजे** संघ कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष ई–निविदाएं खोली जावेंगी। डीडी तथा परिशिष्ट अनुसार स्टाम्प एवं आयकर रिटर्न के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी। किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंध संचालक महोदय, गंगमूल, हनुमानगढ़ के पास सुरक्षित है।

अधिक जानकारी हेतु www.sriganganagarmilkunion.com पर विजिट अथवा 083878–70308 व 077260–07333 पर सम्पर्क करें एवं **पूरा निविदा फार्म अवश्य पढ़ें।**

मैने / हमने उपरोक्त समस्त शर्तें, निर्देश एवं सूचनाएं पढ़ / सुन ली हैं तथा मुझे / हमें मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

D:\Soni\E-Tender

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD
Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512
Tel No. 01552-260588, 260522, Fax-262847, E-mail: rcdfgng_jp1@bsnl.in

आवश्यक निर्देश

1. निविदा का नामः– **सिटी सप्लाई भादरा पथ (फतेहगढ़, मसानी, टिब्बी, तलवाड़ा झील, ऐलनाबाद, सिरसा, भादरा इत्यादि)** में सरस दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण कर खाली क्रेट संग्रहण करना तथा उत्पादों की राशि का भुगतान संघ को करवाना।

2.	अमानत राशि (डीडी)	:– **50,000/– (पचास हजार रूपये)**
3.	धरोहर राशि (बैंक गारण्टी)	:– **4,00,000/– (चार लाख रूपये)**
4.	अनुबंध अवधि	:– **1 वर्ष**
5.	वाहन विवरण	:– **300 खाली केटस क्षमता का 1 इन्सूलेटिड वाहन**
6.	पत्राचार/निविदा खुलने का स्थान	:– विपणन विभाग, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, औद्योगिक क्षेत्र, हनुमानगढ़ जं0–335512
7.	निविदादाता का नाम	:– श्री .... पुत्र श्री ....
8.	डाक का स्थाई पता	:– ....
9.	दूरभाष / ई–मेल आईडी	:– ....
10.	पेन कार्ड नं0 व छायाप्रति	:– ....
11.	जीएसटी नं0 व छायाप्रति	:– ....
12.	एफएसएसएआई नं0 व छायाप्रति	:– ....
13.	आधार कार्ड नं0 व छायाप्रति	:– ....

14. सफल निविदादाता द्वारा **18 माह** की अवधि हेतु उपरोक्तानुसार राशि की पर्फोमेन्स बैंक गारण्टी किसी भी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक की जमा करानी होगी।

15. वाहन मेरा स्वयं का है एवं कागजात पूर्ण एवं सही हालत में हैं।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें, निर्देश एवं सूचनाएं पढ़/सुन ली हैं तथा मुझे/हमें मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

विवरण

1. सफल निविदादाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात द्वितीय न्यूनतम निविदादाता की अमानत राशि लौटा दी जावेगी।
2. सामान्य परिस्थितियों में अमानत राशि जो न्यूनतम निविदादाता द्वारा जमा करवाई गई है, उसे निविदादाता की धरोहर राशि में समायोजित कर लिया जावेगा परंतु पृथक रूप से निर्धारित बैंक गारंटी भी संघ में जमा करवानी होगी।
3. संघ में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी/ संचालक मण्डल के सदस्य या उनके कुटुम्ब (ब्लड रिलेशन), संघ के अधिकृत शॉप एजेंट, बूथ होल्डर, घी वितरक, सरस मित्र निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे अन्यथा निविदा निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा। निविदादाता नाबालिग, अयोग्य, ब्लैक लिस्टेड अथवा न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी या दीवालिया करार नहीं होना चाहिए।
4. निविदादाता को पंजीकृत भागीदारी अथवा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रजिस्टर्ड डीड की स्केन्ड कॉपी ऑनलाईन बिड के साथ अपलोड करनी होगी।
5. निविदादाता के स्वयं के नाम वाहन का पंजीकरण होना आवश्यक है। वाहन सेल लैटर या एग्रीमैन्ट टू सेल या पॉवर ऑफ अटॉर्नी मान्य नहीं होगी। निविदादाता निविदा सूचना अनुसार मॉडल का वाहन कय करने की 100 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंडर टेकिंग की स्केन्ड कॉपी **(Annexure-1)** बिड के साथ उपलोड करनी होगी जिस हेतु अतिरिक्त समय की मांग नहीं की जा सकेगी। संघ द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर निविदा सूचना अनुसार मॉडल का वाहन अवलोकनार्थ संघ में प्रस्तुत करना होगा।
6. प्रथम वाहन का मॉडल निविदा सूचना अनुसार होना चाहिए। यदि पथ हेतु द्वितीय अथवा तृतीय वाहन वांछित हैं तो उन पर मॉडल कंडीशन लागू नहीं होगी परंतु समस्त वाहन सही हालत में एवं कागजात पूर्ण एवं निविदादाता के नाम से होने चाहिए।
7. सामान्य रूप से यथोचित् स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं संघ की नजर में बहुत अधिक व्यक्ति व्यवसाय इस कार्यक्षेत्र में बाजार में उपलब्ध यदि हैं तो न्यूनतम तीन निविदाएं प्राप्त होना आवश्यक होगा, किन्तु यदि संघ के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिए एवं होने वाली भावी हानियों से बचने के उद्देश्य से अथवा टेण्डर प्रकिया की पालना नहीं होने के कारण संघ के कार्य बाधित हो जाने की दशा में अथवा अन्य आंतरिक कारणों के मध्यनजर सक्षम कमेटी की अनुशंषा पर संघ प्रबन्ध संचालक तीन से कम निविदा होने अथवा सिंगल निविदा होने पर भी संघ हित में निर्णय लेनें के लिए स्वतंत्र होंगे।
8. विषम परिस्थितियों में अथवा निविदा सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से लेकर निविदा खोलने के तिथि के मध्य तक किसी भी प्रकार की परिस्थिति में परिवर्तन अथवा प्राप्त निविदाओं की स्थिति, कार्य आकस्मिकता, महत्त्व अथवा अपरिहार्य कारणों के मध्यनजर संघ प्रबन्ध संचालक को निविदा की किसी भी शर्त में संशोधन करने, निरस्त करने अथवा शर्तो को शिथिल करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसी प्रकार निविदादाता द्वारा अनुबंध करने के पश्चात भी अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन/संशोधन करने, कम करने, शिथिल करने, किसी भी शर्त को समाप्त करने अथवा किसी भी शर्त को जोड़ने का पूर्ण अधिकार संघ प्रबन्ध संचालक के पास रहेगा।
9. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने, अस्वीकृत करने अथवा परिवहन दर की नेगोसियेशन करने का अधिकार संघ प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
10. संघ प्रबन्ध संचालक किसी भी निविदा अथवा न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। संघ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह सम्पूर्ण निविदा अथवा निविदा के किसी हिस्से को स्वीकार करे।
11. निविदादाता निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में परिवहन दर स्वीकृति आदेश, कार्य आदेश अनुसार अनुबंध सम्पादन (नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर), धरोहर राशि जमा कराना, बैंक गारण्टी/एफडीआर/सीडीआर प्रस्तुत करना एवं इन्सूलेटिड वाहन अवलोकनार्थ संघ में प्रस्तुत कर कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक होगा अन्यथा उपरोक्त आदेश निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। ऐसी परिस्थिति में निविदादाता को भविष्य में संघ में ठेका देने से भी वंचित किया जा सकेगा।
12. परिवहन की दरें पैसे की **Fraction** में न होकर पूर्ण पैसे में देनी होगी।
13. निविदादाता को गत 2 वर्षों की आयकर रिर्टन प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निविदा स्वीकृति उपरांत उत्तराधिकारी/नामित व्यक्ति का नाम प्रमाणिकरण हेतु 100 रू0 के स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित करवाकर मय आधार कार्ड संघ को प्रस्तुत करना होगा।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें, निर्देश एवं सूचनाएं पढ़/सुन ली हैं तथा मुझे/हमें मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

D:\Sonu\E-Tender

विशेष शर्तें

अ– अनुबंध अवधि, समाप्ति, नवीनीकरण, भंग आदिः–

1. अनुबंध अवधि कार्य प्रारम्भ करने से **1 वर्ष** की होगी परन्तु विशेष परिस्थितियों में वर्तमान अनुबंध शर्तों पर ठेका अवधि **3 माह** तक आगे बढ़ाई जा सकेगी जो निविदादाता को मान्य होगी। दोनों पक्षों की सहमती से अनुबंध अवधि कुल **6 माह** हेतु बढ़ाई जा सकेगी।
2. यदि निविदादाता गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होना पाया जाता है, संघ की सम्पतियों को नुकसान पहुंचाता है, संघ प्रतिनिधि अथवा संघ के अधिकृत वितरक/शॉप एजेन्ट/पार्लर संचालक आदि के साथ अभद्र व्यवहार/मारपीट/डराने–धमकाने की गतिविधियां करता है अथवा अनुबंधित कार्य करना बंद करता है तो अनुबंध भंग की श्रेणी में माना जा सकेगा। इस सम्बन्ध में संघ प्रबन्ध संचालक के पास यह विशेषाधिकार होगा कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए संघ के हितों को सुरक्षित रखते हुए अनुबंध की समाप्ति/समुचित आर्थिक दण्ड लगा सकेंगे।

ब– धरोहर राशिः–

1. निविदादाता को निविदा सूचना अनुसार धरोहर राशि व बैंक गारण्टी/एफडीआर/सीडीआर संघ में जमा करवानी होगी। धरोहर राशि की मात्रा में कमी या बढ़ोतरी के सम्बन्ध में दुग्ध बिक्री में कमी अथवा वृद्धि के मध्यनजर संघ प्रबन्ध संचालक समुचित निर्णय ले सकते हैं जो निविदादाता को मान्य होंगे।
2. नकद धरोहर राशि के अतिरिक्त निविदादाता को निविदा सूचना अनुसार न्यूनतम **18 माह** की अवधि के लिए निर्धारित पर्फोमेन्स बैंक गारण्टी नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर/एफडीआर/सीडीआर किसी भी अनुसूचित अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से संघ के पक्ष में बनवाकर संघ में जमा करवानी होगी। साथ ही एफडीआर/सीडीआर के डिस्चार्ज/फाईनल पेमेंट पार्टिकूलर पर जमाकर्ता को संघ के हित में हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे। उक्त बैंक गारण्टी/एफडीआर/सीडीआर को भुगतान/ जब्त करने अथवा भुगतान प्राप्त करने अथवा लौटाने के लिए धरोहर राशि के सम्बन्ध में बने अन्य नियम इस हेतु समानान्तर रूप से लागू हो सकेंगे।
3. संघ में जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. संघ अपनी समस्त बाकियात की वसूली निविदादाता के बकाया परिवहन बिलों, धरोहर राशि में से अथवा उसकी बैंक गारण्टी/एफडीआर/सीडीआर को भुनवा कर फिर भी यदि कोई बकाया राशि रहती है तो संघ न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वसूल करने के लिए अधिकृत रहेगा।
5. अनुबंध समाप्ति के पश्चात समस्त बकाया की वसूली होने के बाद एवं अनुभागों एवं पथ के समस्त वितरक/ बूथ होल्डर्स/ शॉप एजेन्ट्स/ पार्लर संचालक से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद अन्तिम बिल का भुगतान किया जावेगा एवं धरोहर राशि लौटा दी जावेगी।

स– प्राकृतिक आपदायें एवं राजकीय बाध्यताएंः–

1. किसी भी प्राकृतिक आपदा यथा तूफान, व्यापक हड़ताल/हिंसा–उपद्रव, भूकम्प अथवा किसी राजकीय कानून के लागू हो जाने के कारण यदि वाहन का उपयोग नहीं किया जाता है तो दोनों पक्ष होने वाली अपनी–अपनी हानि को स्वयं वहन करेंगे। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का स्टैण्डिंग चार्ज देय नहीं होगा।

द– विवादों का निपटाराः–

1. निविदादाता को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर संघ की नोमिनल सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
2. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हनुमानगढ़ ही होगा।
3. यदि निविदादाता व वितरक/ बूथ होल्डर्स/ शॉप एजेन्ट्स/ पार्लर संचालक के मध्य किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसमें प्रबन्ध संचालक महोदय का निर्णय अंतिम होगा एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें, निर्देश एवं सूचनाएं पढ़/सुन ली हैं तथा मुझे/हमें मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

य:– दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण कार्य:–

1. निविदादाता को निविदा अनुसार क्षमता व मॉडल का वाहन उपलब्ध करवाना होगा। पथ पर उत्पाद की मांग अधिक होने पर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त वाहन उपलब्ध करवाना होगा जिस पर 15 दिन तक इन्सूलेशन की शर्त लागू नहीं होगी व भुगतान स्वीकृत दर से किया जावेगा परन्तु लगातार 15 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिरिक्त वाहन की आवश्यक्ता बनी रहने पर इन्सूलेटिड वाहन ही उपलब्ध करवाना होगा, अन्यथा स्वीकृत दर का 75 प्रतिशत की दर से परिवहन भुगतान देय होगा तथा अनुबंध निरस्त भी किया जा सकेगा। यदि अतिरिक्त वाहन समय पर संघ को उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो न्यूनतम रूपए 500/– प्रति पारी शास्ति आरोपित की जा सकेगी तथा संघ अपने स्तर पर इसकी व्यवस्था करता है तो ऐसी परिस्थिति में इसके समस्त खर्चे की कटौति निविदादाता से की जा सकेगी। अनुबंधित से कम क्षमता या बिना इन्सूलेशन के वाहन में दूध एवं दुग्ध उत्पाद सप्लाई किये जाने पर स्वीकृत दर का 75 प्रतिशत की दर से परिवहन भुगतान देय होगा। विशेष परिस्थिति में अस्थाई तौर पर इन्सूलेटिड वाहन बदलने हेतु संघ से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। बिना इंसूलेशन के वाहन से उत्पाद परिवहन किए जाने की स्थिति में वाहन को तिरपाल आदि से पूर्णतया ढ़का होना चाहिए अन्यथा न्यूनतम रूपए 500/– का जुर्माना लगाया जा सकेगा। बिना इंसूलेशन के वाहन से उत्पाद सप्लाई किये जाने पर हुई हानि की भरपाई निविदादाता से की जावेगी।
2. अनुबंधित सप्लाई वाहन पर संघ अपने स्तर पर सरस पेंटिंग करवाकर देगा जिस हेतु संघ के निर्धारित स्थान पर वाहन उपलब्ध करवाना होगा। अनुबंध अवधि के दौरान पेन्टिंग खराब होने की स्थिति में निविदादाता को अपने खर्चे पर पेंटिंग को दुरूस्त करवाना होगा एवं निविदादाता को अनुबंध समाप्ति पर वाहन को संघ के निर्धारित स्थान पर उपलब्ध करवाना होगा ताकि सरस पेंटिंग हटाई जा सके।
3. निविदादाता को संघ से विद्युत चलित सरस लोगो प्राप्त कर वाहन के केबिन के उपर अपने स्तर पर लगवाना होगा।
4. निविदादाता को प्रति ट्रिप वाहन क्षमता अनुसार दूध एवं दुग्ध उत्पाद/ क्रेटस अपने वाहन में लाने व ले जाने होंगे। वाहन में ओवरलोड से सम्बन्धित समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा संघ इस हेतु उत्तरदायी नहीं होगा एवं किसी भी प्रकार के चालान् आदि के व्यय को निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।
5. निविदादाता को अपने स्तर पर मांग–वितरण में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
6. संघ द्वारा निविदादाता के कर्मचारी/ प्रतिनिधि को दिया गया पत्र/ परिपत्र, उत्पाद व अन्य सामान निविदादाता को दिया हुआ समझा जावेगा जिसको गन्तव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। साथ ही निविदादाता को संघ द्वारा समय–समय पर जारी समस्त निर्देशों की पालना करनी होगी।
7. निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ से मांग अनुसार दूध एवं दुग्ध उत्पाद गिनकर, लीकेज छांट कर एवं जांच कर ले जाने के पश्चात किसी भी तरह के विवाद के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा। रास्ते में हुए लीकेज की जिम्मेदारी निविदादाता की स्वयं की होगी। वितरक/ बूथ होल्डर/ शॉप एजेन्ट/ आर्मी डिपो/ पार्लर संचालक को लीकेज उत्पाद सप्लाई नहीं किया जावेगा व इसका निस्तारण निविदादाता अपने स्तर पर करेगा। वितरक/ बूथ होल्डर/ शॉप एजेन्ट/ आर्मी डिपो/ पार्लर संचालक को सप्लाई के समय लीकेज उत्पाद से हुए नुकसान की भरपाई निविदादाता करेगा। विशेष परिस्थितियों में लीकेज दूध एवं दुग्ध उत्पाद संघ प्रबन्ध संचालक की स्वीकृति उपरांत संघ में जमा करवाए जा सकेंगे।
8. दूध एवं दुग्ध उत्पाद समय पर नहीं पहुंचने की स्थिति में यदि वितरक/ बूथ होल्डर/ शॉप एजेन्ट/ आर्मी डिपो/ पार्लर संचालक या संघ इसकी व्यवस्था अपने स्तर पर करता है तो निविदादाता को व्यवस्था का खर्चा मय हानि वहन करना होगा। रास्ते में वाहन खराब होने पर निविदादाता को स्वयं अपने स्तर पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद की वैकल्पिक सप्लाई व्यवस्था करनी होगी तथा ऐसी परिस्थिति में हुए नुकसान की जिम्मेदारी भी निविदादाता की होगी।
9. संघ के अधिकृत वितरक/ बूथ होल्डर/ शॉप एजेन्ट/ आर्मी डिपो/ पार्लर संचालक को उत्पाद आपूर्ति के पश्चात सम्बन्धित से मात्रा प्राप्ति की रसीद प्रति पारी संघ में जमा करवानी होगी। मात्रा प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं होने पर यदि उत्पादों की मात्रा के सम्बन्ध में किसी तरह का विवाद होता है तो अन्तर की राशि निविदादाता से वसूल की जावेगी।
10. निविदिदाता स्वयं के खर्चे पर वाहन पर जीपीएस सिस्टम लगाएगा जिसकी लोगिन आईडी/पासवर्ड संघ को उपलब्ध करवाएगा। जीपीएस सिस्टम कार्यरत नहीं होने पर रू0 500/– प्रतिदिन जुर्माना लगाया जा सकता है।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें, निर्देश एवं सूचनाएं पढ़/सुन ली हैं तथा मुझे/हमें मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

11. निविदादाता अधिकृत वितरक/ बूथ होल्डर/ शॉप एजेन्ट/ पार्लर को नकद भुगतान पर ही दूध एवं दुग्ध उत्पाद की आपूर्ति करेगा तथा सम्बन्धित को दुग्ध राशि भुगतान की प्राप्ति देगा। सम्बन्धित से उत्पाद राशि, क्रेटस आदि की वसूली का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। यदि वितरक/ बूथ होल्डर/ शॉप एजेन्ट/ पार्लर संचालक द्वारा उत्पादों की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो संघ उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उत्पादों की राशि व खाली क्रेटस की वसूली निविदादाता से की जावेगी।
12. किसी वितरक/ बूथ होल्डर/ शॉप एजेन्ट/ पार्लर संचालक द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पाद राशि का भुगतान नहीं करने की सूचना प्रभारी विपणन को लिखित में देनी होगी जिससे वितरक/ बूथ होल्डर/ शॉप एजेन्ट/ पार्लर संचालक की दूध एवं दुग्ध उत्पाद आपूर्ति बन्द की जा सके एवं उचित कार्यवाही की जा सके।
13. निविदादाता द्वारा किसी भी पारी में उत्पाद वितरण नहीं करने अथवा वाहन उपलब्ध नहीं करवाने पर संघ द्वारा निविदादाता के हर्जे–खर्चे व जोखिम पर व्यवस्था की जाती है तो समस्त अतिरिक्त खर्च मय हानि की वसूली निविदादाता से की जावेगी तथा अतिरिक्त न्यूनतम रूपए 11,000/– (ग्यारह हजार) प्रति पारी की शास्ति भी आरोपित की जावेगी परन्तु समान्यतः संघ वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु बाध्य नहीं होगा।
14. निविदादाता डेयरी डॉक/वितरक/बूथ होल्डर/शॉप एजेन्ट/आर्मी डिपो/पार्लर पर क्रेटस उतारने व चढ़ाने की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेगा तथा क्रेटस सही ढ़ंग से रखने होंगे।
15. निविदादाता को उपरोक्त कार्य हेतु स्वयं के खर्चे पर प्रत्येक वाहन पर एक खलासी रखना होगा। खलासी नहीं रखने पर न्यूनतम रूपए 200/– प्रति पारी शास्ति आरोपित की जा सकेगी।
16. निविदादाता को वितरक/बूथ होल्डर/शॉप एजेन्ट/आर्मी डिपो/पार्लर को घी, मक्खन व अन्य सरस उत्पाद भी मांग अनुसार सप्लाई करने होंगे। उत्पाद नहीं ले जाने की स्थिति में प्रति पारी न्यूनतम रूपए 500/– शास्ति आरोपित की जा सकती है।
17. विशेष परिस्थितियों में उत्पाद वितरण का कार्य बन्द रखा जा सकेगा जिसकी कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। संघ द्वारा सम्बन्धित पथ अनार्थिक होने पर 15 दिवस का नोटिस देने पर मार्ग पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण का कार्य बन्द किया जा सकेगा जिसके लिए कोई भी हर्जाना/ क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
18. निविदादाता का स्टाफ संघ में चोरी करते या चोरी में सहयोग करते अथवा रास्ते में मिलावट करते हुए पाये जाने पर पकड़े गये उत्पाद की मात्रा की अधिकतम खुदरा मूल्य अनुसार कीमत का 20 गुणा तक शास्ति के रूप में निविदादाता से वसूल किया जा सकेगा। ऐसे कृत्य के लिए अनुबंध निरस्त करते हुए निविदादाता की संघ में जमा धरोहर राशि, बैंक गारण्टी/एफडीआर/सीडीआर तथा संघ में बकाया परिवहन बिलों को जब्त किया जा सकेगा तथा निविदादाता का नाम संघ की काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में दर्ज भी किया जा सकेगा। साथ ही चोरी में लिप्त कर्मचारी को अपनी सेवा से मुक्त करना होगा। ऐसे व्यक्ति को पुनः स्वयं के अथवा संघ के अन्य निविदादाता के वाहन पर सेवा हेतु नहीं रखा जा सकेगा।
19. निविदादाता केवल संघ से अनुबंधित पथ पर संघ द्वारा जारी समयसारणी अनुसार समस्त अधिकृत वितरक/ बूथ होल्डर/ शॉप एजेन्ट/ आर्मी डिपो/ पार्लर व भविष्य में संघ द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले प्वाईंटों पर मांग (संघ द्वारा जारी वितरण प्रपत्र) अनुसार ही दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरित करेगा। पथ के किसी भी अधिकृत वितरक/ बूथ होल्डर/ शॉप एजेन्ट/ आर्मी डिपो/ पार्लर संचालक को दूध एवं दुग्ध सप्लाई नहीं करने पर न्यूनतम रूपए 500/– प्रति पारी शास्ति आरोपित की जा सकेगी। साथ ही संघ द्वारा निर्धारित से अन्य स्थान पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय करते पाये जाने पर विवेकानुसार शास्ति आरोपित करने का अधिकार संघ को होगा। निर्धारित समय से देरी से दूध एवं दुग्ध उत्पाद सप्लाई करने पर होने वाली हानि की भरपाई हेतु निविदादाता जिम्मेदार होगा।
20. निविदादाता के पास स्वयं का समुचित संचार साधन होना आवश्यक होगा ताकि निविदादाता से किसी भी समय सम्पर्क करने में असुविधा न हो।
21. निविदादाता ठेका प्रारम्भ होने के बाद वितरक मय परिवहनकर्ता के रूप में कार्य करेगा जिसके अन्तर्गत पथ पर अधिकृत वितरक/बूथ होल्डर/शॉप एजेन्ट/पार्लर एवं बूथों को सप्लाई किए गए उत्पादों की विक्रय राशि संघ की निर्धारित उत्पाद दरों पर नगद/ऑनलाईन मोड से प्राप्त कर स्वयं के बैंक खाते में जमा करवाएगा, संघ को दिए गए अग्रिम चैक द्वारा विक्रय राशि का भुगतान सुनिश्चित करेगा। डिजीटल भुगतान हेतु परिवहन ठेकेदार को पीओएस मशीन रखनी होगी।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें, निर्देश एवं सूचनाएं पढ़/सुन ली हैं तथा मुझे/हमें मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

22. संघ के अधिकारी/ प्रतिनिधि को निविदादाता के वाहन को किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा जिस हेतु निविदादाता व उसके कर्मचारियों को सहयोग करना होगा। साथ ही संघ कार्य हेतु संघ के अधिकारी/ प्रतिनिधि को वाहन में बैठाकर ले जाना होगा।
23. कार्यादेश जारी होने पर निविदादाता को अपने वाहन चालक व खलासी के पहचान पत्र एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कर तथा वाहन चालकों के ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रमाणित छायाप्रतियों की तीन प्रतियां संघ में जमा करानी होंगी। साथ ही ठेकेदार द्वारा वाहन पर नियुक्त चालक/खलासी को स्वयं के खर्चे पर संघ द्वारा निर्धारित ड्रैस पहनानी होगी।
24. पथ के शहरों/कस्बों में वाहन वर्जित क्षेत्रों में सरस शॉप एजेन्टस/ बूथों को दूध एवं दुग्ध उत्पाद की पहुंच की वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु निविदादाता बाध्य होगा। उपरोक्त व्यवस्था नहीं किए जाने पर निविदादाता के हर्जे–खर्चे पर दूध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति की जा सकेगी एवं शास्ति आरोपित करने व अनुबंध निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा।

र:– उत्पाद राशि भुगतान:–

1. **निविदादाता को पथ की मांग अनुसार प्रातः पारी में उत्पादों की आपूर्ति करनी होगी।**
2. पथ की मांग अनुसार दूध एवं दुग्ध उत्पाद की राशि का अग्रिम चैक/आरटीजीएस भुगतान हेतु प्रतिदिन निर्धारित समय पर संघ में जमा करवाना होगा। बिना अग्रिम चैक/आरटीजीएस भुगतान के दूध एवं दुग्ध उत्पाद वाहन में लोड नहीं करने का निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार की लापरवाही के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा एवं प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम रूपए 500/– का अर्थदण्ड लगाकर वसूल किया जा सकता है। बैंक अवकाश होने या अन्य परिस्थितियों में उत्पादों की राशि प्रतिदिन राजकीय नियमानुसार/अधिकतम 2 लाख रूपए प्रति ठेकेदार द्वारा संघ कार्यालय में कार्यालय समय में नकद जमा करवानी होगी। संघ को समय पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद की राशि का भुगतान नहीं होने पर शास्ति आरोपित की जा सकती है तथा संघ प्रबन्ध संचालक बिना नोटिस के अनुबंध निरस्त कर वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होंगे। भुगतान इत्यादि कार्य हेतु बैंक द्वारा किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से चार्ज लिया जाता है तो संघ इसकी क्षतिपूर्ति हेतू उत्तरदायी नहीं होगा।

ल:– खाली केटस संग्रहण कार्य:–

1. निविदादाता को दूध एवं दुग्ध उत्पाद सप्लाई हेतु संघ से दी गई केटस की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी। निविदादाता को प्रति पारी जितने भरे हुए केटस संघ से दिये जावेंगे उतने ही अगले दिवस को खाली केटस पुनः लोडिंग से पूर्व (अगली पारी में) संघ में जमा करवाने होंगे अन्यथा दूध एवं दुग्ध उत्पाद वाहन में सप्लाई हेतु लोड नहीं करने का निर्णय भी लिया जा सकेगा जिसे सप्लाई हेतु वाहन उपलब्ध नहीं करवाने की श्रेणी में माना जावेगा।
2. निविदादाता को प्रत्येक पखवाड़े की अन्तिम तारीख को निर्धारित सीमा से अधिक बकाया केटस का मूल्य (संघ के निर्धारित मूल्यांकन नियमों के तहत) निविदादाता से वसूल किया जा सकता है।

व:– ईधन एवं अन्य व्यय:–

1. सप्लाई वाहन में डीजल व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी व रोड टैक्स/ टोल टैक्स अथवा भविष्य में वाहन पर लगने वाले सभी प्रकार के टैक्स की जिम्मेवारी वाहन निविदादाता की होगी।
2. **निविदा खोलने की दिनांक के बाद डीजल की दरों में सरकार द्वारा वृद्धि/कमी की जाती है तो वाहन का औसत 10 किलोमीटर प्रति लीटर मानते हुए उसी अनुपात में संघ द्वारा अनुबंधकर्ता की परिवहन दर में संशोधन किया जावेगा जो कि** हर माह की 1 तारीख को डीजल की दर को आधार मानकर उसी अनुसार परिवहन दर में कमी/वृद्धि की जावेगी जो कि उसी माह की 1 तारीख से प्रभावी होगी। ठेका प्रारम्भ होने पर निविदा अपलोड की अंतिम तिथि को डीजल की दर को आधार मानकर प्रथम बार परिवहन दर में संशोधन किया जावेगा।
3. सफल निविदादाता को पीएफ/ईएसआई एवं अन्य वैधानिक नियमों की पालना करनी होगी। सफल निविदादाता द्वारा किसी नियम की पालना न करने से उत्पन्न सभी कानूनी, वित्तिय व अन्य समस्त जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी तथा संघ इस हेतु किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा। सफल निविदादाता के किसी कृत्य के कारण संघ पर किसी तरक का दायित्व आता है तो उसकी वसूली निविदादाता से जमा राशि से की जावेगी।
4. निविदादाता जीएसटी/केन्द्रीय/राजकीय कर/पीएफ/ईएसआई/अधिभार/शुल्क/लेवी/सेवाकर इत्यादि के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। सफल निविदादाता को वाहन अवलोकन हेतु दी गई तिथि तक जीएसटी एवं फूड लाईसेंस की प्रति संघ में जमा करवानी होगी। फूड लाईसेंस स्वयं के नाम से पंजीकृत हो जो की अनुबंध अवधि तक मान्य होना चाहिए।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें, निर्देश एवं सूचनाएं पढ़/सुन ली हैं तथा मुझे/हमें मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

श:– परिवहन बिल/ भुगतान:–

1. **अनुबंधकर्ता को पाक्षिक भुगतान किया जा सकता है अथवा स्वीकृत परिवहन दर का भुगतान दो भागों में किया जावेगा जो कि प्रथम भाग अनुसार प्रतिदिन 1 रू0 प्रति लीटर/किलो उत्पाद की स्वीकृत दर में से कम करते हुए विकय राशि का चैक लगाया जावेगा। उक्त 1 रू0 कमीशन के रूप में ठेकेदार को प्रतिदिन देय होना माना जावेगा। द्वितीय भाग में प्रथम भाग अनुसार कमीशन के रूप में भुगतान की जा चुकी राशि घटाते हुए शेष का वैधानिक कटौतियों उपरांत पाक्षिक भुगतान किया जावेगा। पाक्षिक परिवहन बिल प्रिंटेड प्रारूप पर माह में दो बार दो प्रतियों में निर्धारित समय पर संघ को प्रस्तुत करना होगा।**
2. संघ द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों की दरों में परिवर्तन करने की स्थिति में निविदादाता की स्वीकृत परिवहन दर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

ष:– अन्य शर्तें:–

1. निविदादाता के कर्मचारी/ प्रतिनिधि द्वारा की गई किसी भी गलती के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही संघ अधिकारी/कर्मचारी/प्रतिनिधी/अधिकृत विक्रयकर्ता या उसके प्रतिनिधी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर न्यूनतम 500/– रूपए शास्ति आरोपित की जा सकेगी।
2. अनुबंधित वाहन में सरस उत्पादों के अतिरिक्त अनाधिकृत सवारी/सामान का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करते पाये जाने पर प्रति सवारी/नग न्यूनतम 200/– रूपये शास्ति आरोपित की जा सकेगी।
3. निविदादाता अपना अनुबंध पूर्ण होने से पूर्व यदि ठेका बीच में छोड़ता है अथवा अनुबंध शर्तों के उल्लंघन पर या निविदादाता के किसी कृत्य से संघ की साख/हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर यदि संघ द्वारा ठेका बीच मे निरस्त किया जाता है तो निविदादाता द्वारा संघ में जमा करवाई गई अमानत राशि जब्त करते हुए संघ को हुई हानि की वसूली उसकी संघ में जमा धरोहर राशि/बैंक गारण्टी/एफडीआर/सीडीआर व बकाया परिवहन बिलों की राशि से की जावेगी। परन्तु इसके बाद भी यदि निविदादाता की तरफ संघ का कोई बकाया रहता है तो संघ नियमानुसार वसूली की कार्यवाही कर सकेगा। निविदादाता द्वारा अनुबंध पूर्ण होने से पूर्व ठेका छोड़ने अथवा संघ द्वारा ठेका निरस्त किये जाने पर निविदादाता का नाम संघ की काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में दर्ज किया जा सकेगा तथा निविदादाता की संघ में जमा धरोहर राशि, बैंक गारण्टी/एफडीआर/सीडीआर व बकाया बिलों की राशि भी जब्त की जा सकेगी।
4. निविदादाता अपने हित में कैश इन सैफ व कैश इन ट्रांजिट बीमा पॉलिसी लेता है तो उपयुक्त रहेगा। इससे वह अपने हितों की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर सकेगा। किंतु संघ निविदादाता के लिए कैश इन सैफ व कैश इन ट्रांजिट सुविधा उसके कार्यों के लिए कानूनी तौर पर उपलब्ध नहीं करवा सकता है। अतः रोकड़ संग्रह राशि के सुरक्षित रख–रखाव व रोकड़ राशि लाने व ले जाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निविदादाता की ही रहेगी एवं हर परिस्थिति में संघ की दुग्ध विकय राशि को संघ में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता अपनी अनुबंध अवधि में अन्य किसी पार्टी/ संस्था/ व्यक्ति से अन्य कोई ऐसा अनुबंध नहीं कर सकेगा जो कि संघ हित में नहीं हो। ना ही अनुबंध को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी अन्य को उपभाड़ा (सबलेट) या हस्तांतरित कर सकेगा। ऐसी स्थिति में संघ को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा। विशेष परिस्थितियों मे रूपए 5,000/– (पांच हजार) शुल्क संघ में जमा करवाकर संघ की स्वीकृति से ठेका हस्तांतरित किया जा सकेगा।
6. निविदादाता द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर संघ द्वारा विवेकानुसार शास्ति आरोपित की जा सकेगी या अनुबंध निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा।
7. निविदा सूचना में दर्शायी गई मात्रा गत वर्ष की औसत बिक्री है जो कि अनुबंध अवधि के दौरान कम या ज्यादा हो सकती है। अनुबंध अवधि के दौरान मात्रा के कम या ज्यादा होने पर निविदादाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी आपत्ति संघ को मान्य नहीं होगी। पथ की दूरी व वितरण केन्द्रों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/ बढ़ाई जा सकेगी।
8. स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पथ से सरस उत्पादों की खाली प्लास्टिक थैली का संग्रहण कर संघ में जमा करवानी होगी।
9. **दर स्वीकृति उपरांत निविदादाता को संघ में जीएसटी नम्बर जमा करवाना होगा। भविष्य में संघ द्वारा निविदादाता के नाम से उत्पादों की बिकी का बिल जारी किया जा सकता है तदोपरांत निविदादाता अपने स्तर पर अधिकृत आउटलेटस को उत्पादों का बिल व भुगतान/केटस प्राप्ति की रसीद जारी करेगा। जीएसटी सम्बन्धित समस्त दायित्व हेतु निविदादाता उत्तरदायी होगा।**

स:– वाहन इन्सूलेशन मापदण्ड:–

1. वाहन की छत एवं वाहन के चारों तरफ 2 ईंच की मोटाई की इन्सूलेशन होना आवश्यक है। वाहन के इन्सूलेशन बॉक्स में टूट–फूट अथवा सुराख/छेद की वजह से उत्पादों का तापमान निर्धारित से अधिक पाए जाने पर प्रति पारी रूपए 500/– शास्ति आरोपित की जा सकेगी।
2. वाहन के इन्सूलेशन बॉक्स का दरवाजा वायूरोधक होने सहित बॉक्स में प्रकाश (लाईट) की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें, निर्देश एवं सूचनाएं पढ़/सुन ली हैं तथा मुझे/हमें मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

निम्नांकित सूचनाएं निविदादाता द्वारा आवश्यक रूप से एवं सावधानी से भरा जाना अनिवार्य है। सभी सूचनाओं का विवरण देना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी

अ–

1. निविदादाता का पूरा नाम एवं डाक का स्थाई पताः–
....
....
....

पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएं

2. टेलिफोन/मो0 नं0:– ....
4. पथ का नाम (जिसमें निविदा भरी जानी है):– ....
5. जिस क्षमता से निविदा भरी है

अ– प्रोपराईटरशिप/पार्टनरशिपः– ....

ब– प्रोपराईटर का नाम/ सभी पार्टनरों के नाम व पूरे पतेः–
....
....

स– यदि पार्टनरशिपडीड पंजीकृत है तो पार्टनरशिपडीड की प्रति लगायें।

6. निविदादाता का परमानेन्ट अकाउन्ट नम्बर (पॅन नं0):– ....
7. निविदादाता का आधार नम्बर :– ....

ब–

अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट का विवरण

1. डिमाण्ड ड्राफ्ट जारीकर्ता बैंक का नाम व पताः– ....
2. डिमाण्ड ड्राफ्ट कमांक एवं दिनांकः– ....
3. डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशिः– ....

स–

वाहन सम्बन्धी जानकारी

क0	पंजीयन संख्या व पंजीयन दिनांक	वाहन के स्वामी का नाम	वाहन का मॉडल, प्रकार एवं कम्पनी का नाम	वाहन की दूध केटस परिवहन करने की क्षमता
1–				
2–				

हस्ताक्षर निविदादता

Annexure-A

Appeals

Form of Appeal:-

1. An appeal under sub- section (1) or (4) of section 38 shall be in the form alongwith as many copies as there are respondents in the appeal.
2. Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proff of payment of fee.
3. Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be in person or through registered post or authorized representative.

Fee for filling Appeal:-

a. Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be not refundable.

b. The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers's cheque of a scheduled bank payable in the name of appellate authority concerned.

Procedure for disposal of appeal:-

1. The first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
2. On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second Apellate Authority, as the case May be, shall:-
   (a) hear all the parties to appeal present before him ;and
   (b) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof releting to the matter.
3. After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
4. The order passed under sub-rule (3) shall also be placed on the state public procurement portel.

Repeal and savings:-

All rules regulations, orders, notificatios, departmental codes, manuals, bylaws, official memoranda or circulars relating to procurement of goods, services or works provided for in these rules, which are in force on the date of commencement of these rules, in relation to the matter covered by these rules are hereby repealed to the extent they are covered by these rules :

Provided that such repeal shall not affect the previous operation of rules, regulations, orders, notifications, departmental codes, manuals, by-laws, official memoranda or circulars, so repealed and the procurement process commenced before the commencement of these rules shall continue as per the provisions of rules, regulations, orders, notifications, departmental codes, manuals, by-laws, official memoranda or circulars, so repealed .

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ----------------- of ----------------------

Before the -------------------------------------- (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (I) Name of the appellant
   (II) Official address, if any:
   (III) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (I)
   (II)
   (III)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with appeal:

6. Grounds of appeal:

--- (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

Place -----------------------------

Date ------------------------------

Appellant's Signature

D:\Soni\E-Tender

Annexure-1

वाहन कय कर लगाने हेतु शपथ पत्र

(प्रारूप शपथ पत्र 100 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय नोटेरी से प्रमाणित देय होगा)

मैं/ हम .... पुत्र श्री.. निवासी .... शपथपूर्वक घोषणा करता हूं/हैं, कि संघ द्वारा सफल निविदादाता घोषित किये जाने पर मैं/हम संघ द्वारा वांछित मॉडल का इन्सूलेटिड वाहन निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध करा दूंगा/करा देंगे अन्यथा मेरी/ हमारी अमानत राशि संघ द्वारा जब्त कर ली जावे।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
(निविदादाता)

....

Annexure-2

योग्यता शपथ–पत्र

(प्रारूप शपथ पत्र 100 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय नोटेरी से प्रमाणित देय होगा)

मैं निविदादाता .... सुपुत्र श्री .... उम्र .... निवासी .... यह शपथपूर्वक सत्यापित (घोषणा) करता हूँ कि मैं/हमारी कम्पनी, केन्द्र/राज्य सरकार या किसी भी संस्थान/समिति द्वारा ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) में नहीं किया गया हूँ/नहीं की गयी तथा मेरे/कम्पनी के द्वारा संघ अथवा राजकीय कार्यालय में कार्य संतोषपूर्ण किया गया है, सिक्योरिटी राशि जब्त नहीं हुई है एवं अनुबन्ध निरस्त नहीं हुआ है। यदि मैं निविदादाता इसमें अयोग्य पाया जाता हूं तो संघ मेरी निविदा निरस्त/अस्वीकृत करने में स्वतन्त्र होगा। इस हेतु मेरी तरफ से कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
(निविदादाता)

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512
Tel No. 01552-260588, 260522, Fax-262847, E-mail: rcdfgng_jp1@bsnl.in

INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF E-TENDER FORM & DOCUMENTS

1. The bidders who are interested in bidding can download tender documents from http://eproc.rajasthan.gov.in
2. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on http://eproc.rajasthan.gov.in to participate in online tenders, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safe crypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital certificate need not procure a new Digital Certificate.
   Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C Scheme, Jaipur.
3. Bidders shall submit their offer on-line in Electronic formats however D.D. for Tender fee, Processing Fee and E.M.D. should be submitted manually in the office of Tendering Authority Before date & time of opening of bids without which tender form will not be accepted and scanned copy of D.D. should also be uploaded along with the online bid.
4. Before electronically submitting the tenders, it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tenderer.
5. The scan copy of tender form, rates & other relevant documents duly signed by Tenderer should be submitted online only.
6. If required by the Tenderer, training may be given by DOIT, Yojana Bhawan, Bidder Contact: E-Procurement Cell, 1st Floor, Yojana Bhawan Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur. Help Desk MOBILE: +91-78780-07972, +91-78780-07973 or 180030702232 Toll free, 24X7 E-mail- eproc.rajasthan.gov.in
7. Tender Form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box.
8. Please read carefully the steps of submitting Tender online.
9. Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "Downloads".

(Signed by the tenderer
in token of acceptance of above)